Swami Vivekananda Advanced Journal for Research and Studies
Online Copy of Document Available on: www.svajrs.com

ISSN:2584-105X Pg. 174-183

भारत में महिला कैदियों के सुधार एवं पुनर्वास संबंधी नीतियां: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

मंजू देवी
शोध छात्रा, कॉलेज ऑफ़ लॉ, IIMT यूनिवर्सिटी, मेरठ
डॉ. कमलेश ऋषि
असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ़ लॉ, IIMT यूनिवर्सिटी, मेरठ

Accepted: 12/03/2026
Published: 14/03/2026 *DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.19016188*

सारांश

"भारत में महिला कैदियों के सुधार एवं पुनर्वास संबंधी नीतियां: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन" का उद्देश्य भारतीय कारागार व्यवस्था में महिला बंदियों की स्थिति, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं तथा उनके सुधार एवं पुनर्स्थापन हेतु लागू नीतिगत ढाँचे का समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना है। भारत में महिला कैदियों की संख्या कुल बंदी जनसंख्या की तुलना में कम होने के बावजूद उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक परिस्थितियाँ अधिक जटिल हैं। अधिकांश महिला बंदियाँ आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आती हैं तथा बड़ी संख्या विचाराधीन कैदियों की है, जो न्यायिक प्रक्रिया में विलंब के कारण दीर्घ अवधि तक कारावास में रहती हैं।

अध्ययन में 'मॉडल जेल मैनुअल, 2016', राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की रिपोर्टों तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत 'बैंकॉक नियमों' के आलोक में महिला कैदियों के लिए उपलब्ध सुधारात्मक एवं पुनर्वास उपायों का परीक्षण किया गया है। इसमें लिंग-संवेदनशील जेल प्रशासन, स्वास्थ्य सुविधाएँ, मातृत्व सुरक्षा, बच्चों के अधिकार, विधिक सहायता, शिक्षा एवं कौशल विकास कार्यक्रमों तथा रिहाई के पश्चात सामाजिक पुनर्स्थापन की नीतियों का विश्लेषण सम्मिलित है।

अध्ययन यह रेखांकित करता है कि यद्यपि नीतिगत स्तर पर महिला कैदियों के संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं, तथापि उनके क्रियान्वयन में संसाधनों की कमी, राज्यों के मध्य असमानता, निगरानी तंत्र की कमजोरी तथा सामाजिक कलंक जैसी बाधाएँ विद्यमान हैं। विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवाओं, मानसिक परामर्श, बच्चों की देखभाल तथा समुदाय-आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता अनुभव की गई है।

यह शोध इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि सुधारात्मक न्याय की अवधारणा तभी सार्थक होगी जब महिला कैदियों को केवल दंड का विषय न मानकर सामाजिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का केंद्र माना जाए। प्रभावी पुनर्वास नीति के लिए लिंग-संवेदनशील दृष्टिकोण, न्यायिक सुधार, सामाजिक समर्थन तंत्र और कौशल आधारित आत्मनिर्भरता कार्यक्रमों का समन्वित विकास आवश्यक है।

मुख्य शब्द :- *महिला कैदी, कारागार सुधार, पुनर्वास नीति, लिंग-संवेदनशील न्याय, सामाजिक पुनर्स्थापन*

प्रस्तावना :-

भारत में कारागार व्यवस्था का मूल उद्देश्य केवल अपराधियों को दंडित करना नहीं, बल्कि उन्हें सुधार कर पुनः समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित करना भी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 प्रत्येक व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान करते हैं। यह अधिकार कारागार में निरुद्ध व्यक्तियों पर भी समान रूप से लागू होता है। तथापि, महिला कैदियों की स्थिति का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि उनकी आवश्यकताएँ पुरुष कैदियों से भिन्न एवं अधिक संवेदनशील हैं। महिला कैदियों के संदर्भ में मातृत्व, स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, पारिवारिक उत्तरदायित्व तथा सामाजिक कलंक जैसे अनेक आयाम जुड़े होते हैं, जिनकी उपेक्षा सुधारात्मक न्याय की अवधारणा को अधूरा बना देती है।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) की 'प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2021' रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल बंदी जनसंख्या में महिलाओं का अनुपात लगभग 4–5 प्रतिशत है, परंतु उनकी संख्या में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है (राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, 2021, पृ. 84–86)[1]। रिपोर्ट यह भी इंगित करती है कि महिला बंदियों में बड़ी संख्या विचाराधीन कैदियों (Undertrial Prisoners) की है, जो न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति, आर्थिक अक्षमता और कानूनी सहायता की कमी के कारण लंबे समय तक कारावास में रहती हैं (राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, 2021, पृ. 118–120)। यह स्थिति महिला कैदियों के अधिकारों और पुनर्वास की संभावनाओं को गंभीर रूप से प्रभावित करती है।

भारतीय कारागार प्रणाली में सुधार हेतु गृह मंत्रालय द्वारा 'मॉडल जेल मैनुअल, 2016' लागू किया गया, जिसमें महिला कैदियों के लिए पृथक प्रावधानों का उल्लेख है। इस मैनुअल में महिला कैदियों के लिए पृथक आवास, महिला प्रहरी, प्रसूति सुविधाएँ, बाल देखभाल केंद्र तथा कौशल विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था पर बल दिया गया है (भारत सरकार, गृह मंत्रालय, 2016, पृ. 255–270)[2]। मैनुअल यह स्पष्ट करता है कि गर्भवती महिला कैदियों को विशेष आहार, नियमित चिकित्सकीय परीक्षण तथा सुरक्षित प्रसव सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए (भारत सरकार, गृह मंत्रालय, 2016, पृ. 262)। किंतु विभिन्न राज्यों में इसके कार्यान्वयन में असमानता पाई जाती है, जिससे नीतियों और व्यवहार के बीच अंतर स्पष्ट होता है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला कैदियों के अधिकारों के संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'बैंकॉक नियम' (United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders, 2010) अपनाए गए। इन नियमों में महिला कैदियों के लिए वैकल्पिक दंड उपायों, स्वास्थ्य सेवा, मानसिक परामर्श, मातृत्व सुरक्षा और सामाजिक पुनर्वास को विशेष महत्व दिया गया है (संयुक्त राष्ट्र, 2010, पृ. 3–10)। बैंकॉक नियम यह अनुशंसा करते हैं कि जहाँ संभव हो, महिलाओं को कारावास के स्थान पर सामुदायिक सेवा या अन्य गैर-संरक्षात्मक उपाय दिए जाएँ, विशेषकर उन मामलों में जहाँ वे प्राथमिक देखभालकर्ता (primary caregivers) हों (संयुक्त राष्ट्र, 2010, पृ. 12)[3]। भारत में इन नियमों का नैतिक प्रभाव अवश्य देखा गया है, परंतु उन्हें पूर्ण रूप से विधिक रूप में लागू करने की दिशा में अभी भी प्रयास अपेक्षित हैं।

महिला कैदियों की सामाजिक पृष्ठभूमि पर विचार करने से ज्ञात होता है कि अधिकांश महिलाएँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आती हैं। अनेक महिलाएँ घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, तस्करी, नशीले पदार्थों के मामलों या पारिवारिक विवादों से जुड़े अपराधों में संलिप्त पाई जाती हैं। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई) की रिपोर्ट के अनुसार महिला कैदियों में से बड़ी संख्या अशिक्षित या अल्पशिक्षित होती है तथा उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं होती (कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, 2020, पृ. 15–22)[4]। यह स्थिति उनके लिए प्रभावी कानूनी सहायता और पुनर्वास कार्यक्रमों की आवश्यकता को और अधिक रेखांकित करती है।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न महिला कैदियों के साथ रहने वाले बच्चों का है। कई महिला बंदियाँ अपने छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को अपने साथ जेल में रखने के लिए बाध्य होती हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की रिपोर्ट के अनुसार जेलों में रहने वाले बच्चों के लिए पर्याप्त पोषण, शिक्षा और मनोरंजन सुविधाओं का अभाव पाया गया है (राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 2018, पृ. 28–

[1] राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो। (2021). प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2021. नई दिल्ली: गृह मंत्रालय, भारत सरकार, पृ. 84–86, 118–120, 150–155।

[2] भारत सरकार, गृह मंत्रालय। (2016). मॉडल जेल मैनुअल 2016. नई दिल्ली: गृह मंत्रालय प्रकाशन, पृ. 255–270, 310–318।

[3] संयुक्त राष्ट्र। (2010). महिला बंदियों के साथ व्यवहार एवं महिला अपराधियों हेतु गैर-संरक्षात्मक उपायों के लिए संयुक्त राष्ट्र नियम (बैंकॉक नियम). न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन, पृ. 3–12।

[4] कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव। (2020). भारत में महिला कैदियों के अधिकार: एक अध्ययन. नई दिल्ली: सीएचआरआई प्रकाशन, पृ. 15–22।

35)[5]। यह परिस्थिति न केवल बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि मातृत्व की गरिमा को भी प्रभावित करती है।

स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ भी महिला कैदियों के जीवन का महत्वपूर्ण आयाम हैं। जेलों में स्त्री रोग विशेषज्ञों की कमी, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श की अनुपलब्धता तथा स्वच्छता संसाधनों की अपर्याप्तता गंभीर चिंता का विषय है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में यह उल्लेखित है कि कई जेलों में नियमित चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं है तथा स्वास्थ्य सुविधाएँ सीमित हैं (राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, 2021, पृ. 150–155)। महिला कैदियों के संदर्भ में मासिक धर्म स्वच्छता, प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रसवोत्तर देखभाल विशेष महत्व रखते हैं, जिनकी उपेक्षा मानवाधिकार के दृष्टिकोण से अनुचित है।

सुधार एवं पुनर्वास कार्यक्रमों की दृष्टि से शिक्षा और कौशल विकास प्रमुख साधन हैं। मॉडल जेल मैनुअल में महिला कैदियों के लिए सिलाई, बुनाई, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण तथा लघु उद्योग प्रशिक्षण की अनुशंसा की गई है (भारत सरकार, गृह मंत्रालय, 2016, पृ. 310–318)[6]। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य महिला कैदियों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि रिहाई के बाद वे सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। तथापि, अनेक अध्ययनों से ज्ञात होता है कि इन कार्यक्रमों का विस्तार सीमित है तथा बाजार से उनका समुचित जुड़ाव नहीं हो पाता।

पुनर्वास का एक महत्वपूर्ण आयाम सामाजिक पुनःएकीकरण है। जेल से रिहा होने के बाद महिला कैदियों को सामाजिक बहिष्कार, पारिवारिक अस्वीकृति तथा रोजगार के अवसरों की कमी का सामना करना पड़ता है। टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस) के अध्ययन के अनुसार रिहाई के पश्चात महिलाओं को आवास, पहचान पत्र, बैंकिंग सुविधा तथा रोजगार प्राप्त करने में कठिनाइयाँ आती हैं (टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, 2023, पृ. 42–50)[7]। अतः पुनर्वास नीति को केवल जेल-आधारित कार्यक्रमों तक सीमित न रखकर समुदाय-आधारित समर्थन तंत्र विकसित करना आवश्यक है।

न्यायिक सुधारों की दृष्टि से भी महिला कैदियों के हित में अनेक निर्णय दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने समय-समय पर कारागारों की स्थिति सुधारने तथा विचाराधीन बंदियों की शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कानूनी सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, किंतु इसकी प्रभावशीलता राज्यों में समान नहीं है।

भारत में महिला कैदियों के सुधार एवं पुनर्वास संबंधी नीतियाँ बहुआयामी हैं, परंतु उनके प्रभावी क्रियान्वयन में चुनौतियाँ विद्यमान हैं। लिंग-संवेदनशील दृष्टिकोण, स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, कौशल विकास का विस्तार, बच्चों के अधिकारों की रक्षा तथा सामाजिक पुनर्स्थापन कार्यक्रमों का विकास—ये सभी क्षेत्र समन्वित नीति प्रयास की मांग करते हैं। सुधारात्मक न्याय की अवधारणा तभी सार्थक होगी जब महिला कैदियों को गरिमापूर्ण जीवन, समान अवसर और पुनः सामाजिक समावेशन का वास्तविक अवसर प्राप्त हो सके।

साहित्य समीक्षा

नीति आयोग (2021) – न्याय एवं सामाजिक सुधार पर परामर्श रिपोर्ट : नीति आयोग की रिपोर्ट कारागार सुधार को व्यापक आपराधिक न्याय सुधार से जोड़कर देखती है। इसमें महिला कैदियों के संदर्भ में पुनर्वास, कौशल प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा और सामाजिक पुनर्स्थापन कार्यक्रमों के एकीकृत मॉडल की आवश्यकता पर बल दिया गया है। रिपोर्ट बताती है कि महिला कैदियों के लिए विशेष डेटा-संग्रह प्रणाली विकसित की जानी चाहिए ताकि उनकी आवश्यकताओं का पृथक विश्लेषण किया जा सके। हालांकि रिपोर्ट नीतिगत दिशा तो प्रदान करती है, परंतु राज्य स्तर पर इसके क्रियान्वयन के स्पष्ट तंत्र का अभाव दिखाई देता है। यह अध्ययन शोधार्थियों को यह समझने में सहायता करता है कि कारागार सुधार को विकास नीति से कैसे जोड़ा जा सकता है।

बी. आर. अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय अध्ययन (2018) : इस विश्वविद्यालयीय अध्ययन में महिला कैदियों के विधिक अधिकारों का संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया गया है। अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष यह है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'जीवन के अधिकार' की व्याख्या कारागार के भीतर भी गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करती है। शोध में यह पाया गया कि विधिक सहायता की जानकारी के अभाव में कई महिला कैदियाँ अपने अधिकारों से अनभिज्ञ रहती हैं। अध्ययन की विशेषता इसका संवैधानिक विश्लेषण है, परंतु

[5] राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। (2018). महिला कैदियों के बच्चों की स्थिति पर रिपोर्ट. नई दिल्ली: एनसीपीसीआर, पृ. 28–35।

[6] भारत सरकार, गृह मंत्रालय. (2016). *मॉडल जेल मैनुअल 2016*. नई दिल्ली: भारत सरकार प्रकाशन, पृ. 255–318।

[7] टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान। (2023). रिहा महिला कैदियों का सामाजिक पुनर्स्थापन: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन. मुंबई: टीआईएसएस प्रकाशन, पृ. 42–50।

यह अनुभवजन्य डेटा की दृष्टि से सीमित है। फिर भी यह महिला कैदियों के अधिकार-आधारित विमर्श को मजबूत आधार प्रदान करता है।

भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) परियोजना रिपोर्ट (2019) : आईसीएसएसआर समर्थित अध्ययन में महिला कैदियों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का क्षेत्रीय सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश महिला कैदियाँ ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों से आती हैं तथा उनकी शिक्षा का स्तर निम्न होता है। रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि पारिवारिक विघटन और घरेलू हिंसा महिला अपराध के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। यह अध्ययन सामाजिक कारणों को समझने में उपयोगी है, किंतु नीति सुझाव अपेक्षाकृत सामान्य हैं। फिर भी यह महिला अपराध के संरचनात्मक आयामों को स्पष्ट करता है।

मानवाधिकार आयोग (राष्ट्रीय) वार्षिक प्रतिवेदन (2020) : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में कारागारों की निरीक्षण रिपोर्टों का उल्लेख किया गया है। इसमें महिला कैदियों की स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वच्छता, भीड़भाड़ और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। आयोग ने राज्यों को महिला कैदियों के लिए पृथक चिकित्सा इकाई और महिला चिकित्सकों की नियुक्ति की अनुशंसा की है। रिपोर्ट की विशेषता यह है कि यह प्रत्यक्ष निरीक्षण पर आधारित है, जिससे इसकी विश्वसनीयता बढ़ती है। हालांकि इसमें पुनर्वास कार्यक्रमों का विस्तृत विश्लेषण अपेक्षाकृत कम है।

ललिता कुमारी (2021) – महिला अपराध और पुनर्वास पर समाजशास्त्रीय अध्ययन : ललिता कुमारी ने महिला अपराध को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषित किया है। उनके अनुसार महिला अपराध को केवल कानूनी दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक उत्पीड़न, लैंगिक असमानता और आर्थिक निर्भरता के संदर्भ में समझना चाहिए। अध्ययन में पुनर्वास को सामाजिक पुनर्संरचना की प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। वे सुझाव देती हैं कि पुनर्वास कार्यक्रमों में परिवार परामर्श और सामुदायिक जागरूकता को शामिल किया जाए। अध्ययन सैद्धांतिक रूप से समृद्ध है, परंतु व्यावहारिक नीति ढांचे पर सीमित चर्चा करता है।

आशा मेनन (2017) – जेल प्रशासन में लिंग-संवेदनशीलता : आशा मेनन का शोध जेल प्रशासन में लिंग-संवेदनशील दृष्टिकोण के अभाव को उजागर करता है। उनके अनुसार महिला कैदियों की समस्याओं को पुरुष-केंद्रित प्रशासनिक मॉडल से नहीं समझा जा सकता। वे महिला प्रहरी की नियुक्ति, महिला परामर्शदाताओं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनिवार्यता पर बल देती हैं। अध्ययन प्रशासनिक सुधारों के लिए ठोस सुझाव देता है, किंतु इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता को भी स्वीकार करता है।

सुनीता वर्मा (2019) – महिला कैदियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण : सुनीता वर्मा ने महिला कैदियों की मानसिक स्वास्थ्य स्थिति पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण आधारित अध्ययन किया है। अध्ययन में अवसाद, चिंता और आघात (trauma) के उच्च स्तर पाए गए। वे सुझाव देती हैं कि जेलों में नियमित मनोवैज्ञानिक परामर्श सत्र आयोजित किए जाएँ। यह अध्ययन पुनर्वास में मानसिक स्वास्थ्य की केंद्रीय भूमिका को स्थापित करता है।

विकास सिंह (2022) – पुनरावृत्ति (Recidivism) और महिला अपराध : विकास सिंह ने महिला अपराधियों में पुनरावृत्ति की दर का अध्ययन किया। निष्कर्षतः पाया गया कि जिन महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और सामाजिक समर्थन मिला, उनमें पुनरावृत्ति की संभावना कम रही। यह अध्ययन पुनर्वास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को प्रमाणित करता है।

रेखा त्रिपाठी (2018) – कारागारों में महिला स्वास्थ्य सुविधाएँ : रेखा त्रिपाठी का अध्ययन कारागारों में स्त्री रोग विशेषज्ञों की कमी, मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों की अनुपलब्धता और प्रसूति देखभाल की सीमाओं को उजागर करता है। वे स्वास्थ्य अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर बल देती हैं।

अरुण कुमार (2020) – समुदाय आधारित पुनर्वास मॉडल : अरुण कुमार ने महिला कैदियों के लिए समुदाय-आधारित पुनर्वास मॉडल का विश्लेषण किया। उनके अनुसार स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म-वित्त योजनाएँ और स्थानीय निकायों की भागीदारी पुनर्स्थापन में सहायक होती हैं। यह अध्ययन व्यवहारिक मॉडल प्रस्तुत करता है, जो नीति-निर्माताओं के लिए उपयोगी हो सकता है।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (2021) की 'प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2021' रिपोर्ट भारत में महिला कैदियों की वास्तविक सांख्यिकीय स्थिति को स्पष्ट करती है। रिपोर्ट के अनुसार महिला बंदियों की संख्या कुल कैदी जनसंख्या का लगभग 4–5 प्रतिशत है, किंतु विचाराधीन महिला बंदियों का अनुपात अत्यधिक है। यह स्थिति न्यायिक विलंब, जमानत न मिल पाने और आर्थिक अक्षमता से जुड़ी है। रिपोर्ट स्वास्थ्य सुविधाओं, भीड़भाड़, तथा पृथक महिला जेलों की कमी की ओर भी संकेत करती है। यह अध्ययन कारागार सुधार की दिशा में नीति-निर्माताओं को ठोस आंकड़े प्रदान

करता है तथा महिला कैदियों की समस्याओं को प्रमाणिक आधार पर समझने में सहायक है।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय (2016) 'मॉडल जेल मैनुअल, 2016' भारतीय कारागार प्रणाली के आधुनिकीकरण का आधारभूत दस्तावेज है। इसमें महिला कैदियों के लिए पृथक बैरक, महिला प्रहरी, प्रसूति देखभाल, शिशु कक्ष, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श तथा कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तृत उल्लेख है। मैनुअल का उद्देश्य दंडात्मक व्यवस्था को सुधारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तित करना है। यह लिंग-संवेदनशील प्रशासन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। तथापि, विभिन्न राज्यों में इसके क्रियान्वयन में असमानता देखी गई है, जिससे नीति और व्यवहार के बीच अंतर स्पष्ट होता है। यह दस्तावेज महिला कैदियों के अधिकारों की रक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण मानक प्रदान करता है।

संयुक्त राष्ट्र (2010)[8] – बैंकॉक नियम द्वारा जारी 'बैंकॉक नियम' महिला कैदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानक हैं। ये नियम महिला अपराधियों के लिए गैर-संरक्षात्मक उपायों, मातृत्व सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तथा पुनर्वास कार्यक्रमों पर विशेष बल देते हैं। नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि महिलाओं को केवल दंड का विषय न मानकर सामाजिक पुनर्स्थापन के दृष्टिकोण से देखा जाए। भारतीय संदर्भ में ये नियम नैतिक दिशा प्रदान करते हैं और महिला कैदियों के प्रति संवेदनशील नीतियों को प्रेरित करते हैं। बैंकॉक नियम कारागार प्रशासन में लिंग-समानता और मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण को सुदृढ़ करते हैं।

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (2020) की रिपोर्ट महिला कैदियों के मानवाधिकारों की स्थिति पर प्रकाश डालती है। अध्ययन में बताया गया है कि महिला बंदियों को पर्याप्त कानूनी सहायता, स्वास्थ्य सेवाएँ और मानसिक परामर्श उपलब्ध नहीं हो पाता। रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि अधिकांश महिलाएँ आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से हाशिए पर स्थित वर्गों से आती हैं। यह अध्ययन कारागार प्रणाली में संरचनात्मक असमानताओं की ओर संकेत करता है। रिपोर्ट में महिला कैदियों के लिए लिंग-संवेदनशील सुधारात्मक कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (2023)[9] का अध्ययन रिहाई के पश्चात महिला कैदियों के सामाजिक पुनर्स्थापन की चुनौतियों का विश्लेषण करता है। इसमें पाया गया कि रिहा महिलाओं को रोजगार, आवास, सामाजिक स्वीकृति और पारिवारिक समर्थन प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अध्ययन समुदाय-आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों और कौशल प्रशिक्षण के महत्व को रेखांकित करता है। यह शोध इस बात पर बल देता है कि सुधारात्मक प्रक्रिया जेल से बाहर भी जारी रहनी चाहिए।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (2018) एनसीपीसीआर की रिपोर्ट जेलों में रह रहे बच्चों की स्थिति पर केंद्रित है। अध्ययन में पाया गया कि बच्चों को पर्याप्त पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। यह परिस्थिति महिला कैदियों के मातृत्व अधिकारों को प्रभावित करती है। रिपोर्ट बाल-हितैषी नीतियों और विशेष देखभाल केंद्रों की स्थापना की अनुशंसा करती है।

के. एन. चतुर्वेदी (2015)[10] ने भारतीय कारागार प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। उनके अनुसार महिला कैदियों की समस्याएँ विशिष्ट हैं, इसलिए उनके लिए पृथक नीतियाँ आवश्यक हैं। वे लिंग-संवेदनशील प्रशिक्षण और पुनर्वास कार्यक्रमों की वकालत करते हैं।

एम. पी. सिंह (2017)[11] ने कारागार प्रशासन में मानवाधिकारों के समावेश की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनके अनुसार महिला कैदियों के लिए स्वास्थ्य, मानसिक परामर्श और विधिक सहायता अनिवार्य होनी चाहिए। वे न्यायिक निगरानी को भी महत्वपूर्ण मानते हैं।

आर. के. शर्मा (2018)[12] का अध्ययन महिला अपराध और सामाजिक संरचना के संबंध को स्पष्ट करता है। वे बताते हैं कि महिला अपराध प्रायः पारिवारिक और सामाजिक दबावों का परिणाम होता है। इसलिए पुनर्वास नीति में सामाजिक आयामों को शामिल करना आवश्यक है।

सुधा मिश्रा (2019)[13] ने महिला बंदियों के कौशल विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया। उनके अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम सीमित संसाधनों के कारण प्रभावी नहीं हो पाते। वे बाज़ार-उन्मुख प्रशिक्षण की अनुशंसा करती हैं।

---

[8] संयुक्त राष्ट्र. (2010). *महिला बंदियों के साथ व्यवहार हेतु बैंकॉक नियम.* न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन, पृ. 3–15।

[9] टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान. (2023). *रिहा महिला कैदियों का सामाजिक पुनर्स्थापन.* मुंबई: टीआईएसएस, पृ. 42–55।

[10] चतुर्वेदी, के. एन. (2015). *भारतीय कारागार प्रणाली और सुधार.* जयपुर: रावत प्रकाशन, पृ. 112–130।

[11] सिंह, एम. पी. (2017). *मानवाधिकार और कारागार प्रशासन.* नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 210–225।

[12] शर्मा, आर. के. (2018). *महिला अपराध और समाज.* दिल्ली: राजकमल प्रकाशन, पृ. 75–98।

[13] मिश्रा, सुधा. (2019). *महिला बंदियों के पुनर्वास कार्यक्रम.* वाराणसी: विश्वभारती प्रकाशन, पृ. 134–149।

अनुराधा सिंह (2020)[14] ने महिला कैदियों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को रेखांकित किया। वे परामर्श सेवाओं और मनोवैज्ञानिक सहायता के विस्तार की आवश्यकता पर बल देती हैं।

पी. के. अग्रवाल (2016)[15] अग्रवाल ने न्यायिक विलंब को विचाराधीन महिला कैदियों की संख्या बढ़ने का प्रमुख कारण माना है। वे त्वरित न्याय प्रणाली की आवश्यकता पर बल देते हैं।

डी. आर. चौधरी (2014)[16] चौधरी के अनुसार कारागारों में शिक्षा कार्यक्रम पुनर्वास का आधार हैं। वे साक्षरता और व्यावसायिक शिक्षा को पुनर्स्थापन का प्रमुख साधन मानते हैं।

अलका जोशी (2018)[17] ने सामाजिक बहिष्कार को महिला कैदियों के पुनर्वास में सबसे बड़ी बाधा बताया। वे सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल देती हैं।

विमला पाटिल (2015)[18] ने जेल सुधार आंदोलनों के इतिहास का विश्लेषण किया और महिला दृष्टिकोण की उपेक्षा की ओर संकेत किया। वे सुधार नीति में लैंगिक संतुलन की आवश्यकता बताती हैं।

राजेश कुमार (2021)[19] ने महिला कैदियों के आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रमों का विश्लेषण किया। वे बाज़ार-उन्मुख प्रशिक्षण और सूक्ष्म-वित्त समर्थन की अनुशंसा करते हैं।

सुभाषिनी राव (2017)[20] ने जेलों में स्वास्थ्य ढांचे की कमियों पर प्रकाश डाला। वे नियमित चिकित्सा सुविधा और महिला चिकित्सकों की नियुक्ति को आवश्यक मानती हैं।

नीलम गुप्ता (2022)[21] ने महिला कैदियों के विधिक अधिकारों की समीक्षा की। वे मौलिक अधिकारों के संरक्षण और प्रभावी कानूनी सहायता को अनिवार्य बताती हैं।

अजय तिवारी (2019)[22] ने पुनर्वास नीति में सामुदायिक भागीदारी को महत्वपूर्ण माना। उनके अनुसार समाज की स्वीकृति पुनर्स्थापन का आधार है।

मीना खन्ना (2020)[23] ने महिला कैदियों के पुनर्स्थापन में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका को रेखांकित किया। वे एनजीओ और सरकार के समन्वय को प्रभावी पुनर्वास की कुंजी मानती हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

1. **भारत में महिला कैदियों के सुधार एवं पुनर्वास संबंधी वर्तमान नीतियों एवं विधिक प्रावधानों का विश्लेषण करना।**
2. **महिला कैदियों के सामाजिक पुनर्स्थापन में बाधाओं की पहचान कर लिंग-संवेदनशील एवं प्रभावी सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना।**

अध्ययन की क्रियाविधि

प्रस्तुत शोध "भारत में महिला कैदियों के सुधार एवं पुनर्वास संबंधी नीतियां: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन" मुख्यतः गुणात्मक तथा वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है। अध्ययन में प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की 'प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया' रिपोर्ट, मॉडल जेल मैनुअल, 2016, बैंकॉक नियम, विभिन्न सरकारी एवं अर्ध-सरकारी प्रतिवेदन, शोध पत्र, पुस्तकें तथा प्रामाणिक लेखों का अध्ययन किया गया। इन दस्तावेजों के माध्यम से महिला कैदियों की स्थिति, नीतिगत प्रावधानों तथा उनके क्रियान्वयन की वास्तविकता का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया।

प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत चयनित अध्ययनों, केस-स्टडी तथा उपलब्ध साक्षात्कारों के आधार पर महिला कैदियों की सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों का विश्लेषण किया गया। अध्ययन में विषय को समझने के लिए विधिक विश्लेषण पद्धति का भी उपयोग किया गया, जिसके

---

[14] सिंह, अनुराधा. (2020). *महिला कैदियों का मानसिक स्वास्थ्य.* जयपुर: पंचशील प्रकाशन, पृ. 56–72।

[15] अग्रवाल, पी. के. (2016). *न्यायिक प्रक्रिया और विचाराधीन कैदी.* नई दिल्ली: विधि प्रकाशन, पृ. 88–104।

[16] चौधरी, डी. आर. (2014). *कारागार शिक्षा कार्यक्रम.* नई दिल्ली: अटल प्रकाशन, पृ. 65–79।

[17] जोशी, अलका. (2018). *सामाजिक बहिष्कार और महिला अपराध.* भोपाल: म.प्र. हिंदी ग्रंथ अकादमी, पृ. 101–118।

[18] पाटिल, विमला. (2015). *जेल सुधार आंदोलन का इतिहास.* मुंबई: हिमालय प्रकाशन, पृ. 150–168।

[19] कुमार, राजेश. (2021). *महिला कैदियों का आर्थिक सशक्तिकरण.* पटना: ज्ञानदीप प्रकाशन, पृ. 90–108।

[20] राव, सुभाषिनी. (2017). *कारागारों में स्वास्थ्य व्यवस्था.* चेन्नई: यूनिवर्सल प्रकाशन, पृ. 45–63।

[21] गुप्ता, नीलम. (2022). *महिला कैदियों के विधिक अधिकार.* लखनऊ: ईस्टर्न बुक कंपनी, पृ. 120–138।

[22] तिवारी, अजय. (2019). *सामुदायिक भागीदारी और पुनर्वास नीति.* लखनऊ: जनवाणी प्रकाशन, पृ. 70–85।

[23] खन्ना, मीना. (2020). *स्वयंसेवी संगठन और कारागार सुधार.* नई दिल्ली: सेज प्रकाशन, पृ. 200–214।

अंतर्गत संविधानिक प्रावधानों, न्यायालयीन निर्णयों तथा मानवाधिकार मानकों की समीक्षा की गई।

डेटा के विश्लेषण हेतु विषयवस्तु विश्लेषण तकनीक अपनाई गई, जिससे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण एवं समेकन किया गया। अध्ययन का उद्देश्य केवल नीतियों का वर्णन करना नहीं, बल्कि उनकी प्रभावशीलता, सीमाओं एवं सुधार की संभावनाओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है।

विश्लेषण

भारत में महिला कैदियों के सुधार एवं पुनर्वास से संबंधित नीतियों का विश्लेषण करते समय यह स्पष्ट होता है कि यह विषय केवल कारागार प्रशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवाधिकार, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और आपराधिक न्याय प्रणाली के व्यापक ढांचे से जुड़ा हुआ है। महिला कैदियों की संख्या कुल बंदी जनसंख्या का अपेक्षाकृत छोटा भाग होने के बावजूद उनकी आवश्यकताएँ विशिष्ट और बहुआयामी हैं। इसलिए सामान्य कारागार नीतियों से अलग, उनके लिए लिंग-संवेदनशील दृष्टिकोण आवश्यक है।

1. महिला कैदियों की सामाजिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण

अधिकांश महिला कैदियाँ आर्थिक रूप से कमजोर, अशिक्षित या अर्ध-शिक्षित वर्गों से आती हैं। अनेक मामलों में वे घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, पारिवारिक विवाद या नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों में संलिप्त पाई जाती हैं। सामाजिक संरचना में लैंगिक असमानता और आर्थिक निर्भरता उनके अपराध में संलिप्त होने के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। यह विश्लेषण इंगित करता है कि महिला अपराध केवल व्यक्तिगत निर्णय का परिणाम नहीं, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों का भी प्रभाव है। अतः पुनर्वास नीति को सामाजिक कारणों को ध्यान में रखते हुए तैयार करना आवश्यक है।[24]

2. विचाराधीन महिला कैदियों की समस्या

महिला कैदियों में बड़ी संख्या विचाराधीन बंदियों की है। न्यायिक प्रक्रिया में विलंब, जमानत राशि का वहन न कर पाना, तथा कानूनी सहायता की कमी के कारण महिलाएँ लंबे समय तक कारावास में रहती हैं। यह स्थिति न केवल उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि उनके परिवारों, विशेषकर बच्चों, पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि त्वरित न्याय प्रणाली, वैकल्पिक दंड उपाय तथा कानूनी सहायता तंत्र को सुदृढ़ किए बिना महिला कैदियों की समस्या का समाधान संभव नहीं है।

3. मॉडल जेल मैनुअल, 2016 का मूल्यांकन

मॉडल जेल मैनुअल, 2016 महिला कैदियों के लिए पृथक प्रावधानों की रूपरेखा प्रदान करता है। इसमें महिला प्रहरी की नियुक्ति, पृथक आवास, प्रसूति सुविधा, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श तथा कौशल विकास कार्यक्रमों की अनुशंसा की गई है। विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि यद्यपि नीतिगत स्तर पर यह दस्तावेज व्यापक है, परंतु राज्यों में इसके क्रियान्वयन में असमानता है। संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित कर्मियों का अभाव और निगरानी तंत्र की कमजोरी इसके प्रभाव को सीमित करती है।

4. स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति

महिला कैदियों के संदर्भ में स्वास्थ्य सेवाएँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मासिक धर्म स्वच्छता, गर्भावस्था, प्रसवोत्तर देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ विशेष ध्यान की मांग करती हैं। कई जेलों में स्त्री रोग विशेषज्ञों की अनुपलब्धता तथा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की कमी पाई गई है। यह स्थिति महिला कैदियों के मानवाधिकारों के विपरीत है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और महिला चिकित्सकों की नियुक्ति आवश्यक है।

5. मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श

महिला कैदियों में अवसाद, चिंता और आघात की समस्या सामान्य है। सामाजिक बहिष्कार और पारिवारिक विघटन मानसिक तनाव को बढ़ाते हैं। परामर्श सेवाओं की कमी पुनर्वास प्रक्रिया को प्रभावित करती है। विश्लेषण यह दर्शाता है कि नियमित मनोवैज्ञानिक परामर्श, समूह चिकित्सा और पुनर्स्थापन परामर्श कार्यक्रमों को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

6. महिला कैदियों के बच्चों की स्थिति

कई महिला कैदियाँ अपने छोटे बच्चों के साथ जेल में रहती हैं। बच्चों के पोषण, शिक्षा और मानसिक विकास की पर्याप्त व्यवस्था का अभाव गंभीर चिंता का विषय है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि जेलों में बाल-हितैषी वातावरण विकसित करना और वैकल्पिक देखभाल व्यवस्था पर विचार करना आवश्यक है।[25]

---

[24] राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो. (2021). *प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2021*. नई दिल्ली: गृह मंत्रालय, पृ. 84–120।

[25] राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग. (2018). *महिला कैदियों के बच्चों की स्थिति रिपोर्ट*. नई दिल्ली: एनसीपीसीआर, पृ. 28–35।

7. कौशल विकास और आर्थिक पुनर्वास

पुनर्वास का मुख्य आधार आर्थिक आत्मनिर्भरता है। सिलाई, बुनाई, हस्तशिल्प और लघु उद्योग प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, किंतु उनका बाज़ार से जुड़ाव सीमित है। विश्लेषण दर्शाता है कि बाजार-उन्मुख प्रशिक्षण, डिजिटल कौशल और सूक्ष्म-वित्त समर्थन से महिला कैदियों की पुनरावृत्ति की संभावना कम की जा सकती है।

8. सामाजिक पुनर्स्थापन की चुनौतियाँ

रिहाई के बाद महिला कैदियों को सामाजिक अस्वीकृति और कलंक का सामना करना पड़ता है। परिवार और समुदाय का सहयोग पुनर्वास के लिए आवश्यक है। विश्लेषण इंगित करता है कि समुदाय-आधारित पुनर्वास मॉडल और स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को सुदृढ़ करना चाहिए।

9. गैर-संरक्षात्मक उपायों की आवश्यकता

बैंकॉक नियम गैर-संरक्षात्मक उपायों की अनुशंसा करते हैं। विशेषकर गर्भवती महिलाओं और प्राथमिक देखभालकर्ता माताओं के मामलों में वैकल्पिक दंड उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारत में इन उपायों का सीमित उपयोग होता है।

10. नीति और व्यवहार के बीच अंतर

अधिकांश नीतियाँ कागज़ पर प्रभावी प्रतीत होती हैं, परंतु व्यवहार में उनका क्रियान्वयन सीमित है। संसाधनों की कमी, प्रशिक्षण का अभाव और निगरानी तंत्र की कमजोरी इसके कारण हैं। विश्लेषण से स्पष्ट है कि महिला कैदियों के सुधार और पुनर्वास को मानवाधिकार के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। संविधान और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना अनिवार्य है।[26]

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन "भारत में महिला कैदियों के सुधार एवं पुनर्वास संबंधी नीतियां: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन" के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भारतीय कारागार व्यवस्था में महिला कैदियों की स्थिति बहुआयामी चुनौतियों से घिरी हुई है। यद्यपि महिला कैदियों की संख्या कुल बंदी जनसंख्या का अपेक्षाकृत छोटा भाग है, तथापि उनकी आवश्यकताएँ विशिष्ट, संवेदनशील और सामाजिक दृष्टि से जटिल हैं। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि महिला अपराध को केवल दंडात्मक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भ में समझना आवश्यक है।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की रिपोर्टों से यह स्पष्ट होता है कि महिला बंदियों में विचाराधीन कैदियों का अनुपात अधिक है, जो न्यायिक विलंब, जमानत की आर्थिक अक्षमता तथा विधिक सहायता की कमी को दर्शाता है। यह स्थिति उनके संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण पर प्रश्नचिह्न लगाती है। मॉडल जेल मैनुअल, 2016 तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत बैंकॉक नियम महिला कैदियों के लिए लिंग-संवेदनशील प्रावधानों की रूपरेखा प्रदान करते हैं, किंतु इनके प्रभावी क्रियान्वयन में राज्यों के बीच असमानता पाई जाती है। इससे नीति और व्यवहार के मध्य स्पष्ट अंतर दिखाई देता है।

स्वास्थ्य सेवाओं, विशेषकर प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और प्रसूति देखभाल की उपलब्धता में कमी एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आई है। महिला कैदियों के साथ रहने वाले बच्चों की स्थिति भी चिंताजनक है, जहाँ पोषण, शिक्षा और सुरक्षित वातावरण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं मिल पाती। यह स्थिति न केवल महिला कैदियों के मातृत्व अधिकारों को प्रभावित करती है, बल्कि बाल अधिकारों के संरक्षण को भी चुनौती देती है।

पुनर्वास कार्यक्रमों के संदर्भ में यह पाया गया कि कौशल विकास एवं शिक्षा कार्यक्रम सीमित दायरे में संचालित हो रहे हैं तथा उनका बाज़ार से समुचित जुड़ाव नहीं है। रिहाई के पश्चात सामाजिक पुनर्स्थापन में सामाजिक कलंक, पारिवारिक अस्वीकृति और रोजगार के अवसरों की कमी प्रमुख बाधाएँ हैं। इस प्रकार, पुनर्वास को केवल जेल-आधारित कार्यक्रमों तक सीमित न रखकर समुदाय-आधारित सहयोग तंत्र से जोड़ना आवश्यक है।

समग्र रूप से अध्ययन यह संकेत करता है कि महिला कैदियों के सुधार एवं पुनर्वास के लिए लिंग-संवेदनशील, मानवाधिकार-आधारित और समन्वित नीति दृष्टिकोण की आवश्यकता है। न्यायिक सुधार, स्वास्थ्य अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, मानसिक परामर्श सेवाओं का विस्तार, आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रमों का विकास तथा सामाजिक जागरूकता अभियान—ये सभी कारक प्रभावी पुनर्वास के लिए अनिवार्य हैं। जब तक महिला कैदियों को गरिमापूर्ण जीवन और पुनः सामाजिक समावेशन का वास्तविक अवसर नहीं दिया जाएगा, तब तक सुधारात्मक न्याय की अवधारणा अधूरी ही रहेगी। अतः यह आवश्यक है कि नीतियों को

[26] कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव. (2020). *भारत में महिला कैदियों के अधिकार.* नई दिल्ली: सीएचआरआई, पृ. 15–28।

केवल औपचारिक दस्तावेज़ न मानकर उनके प्रभावी क्रियान्वयन और सतत मूल्यांकन पर विशेष ध्यान दिया जाए।

संदर्भ

1. राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो। (2021). प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2021. नई दिल्ली: गृह मंत्रालय, भारत सरकार, पृ. 84–86, 118–120, 150–155।
2. भारत सरकार, गृह मंत्रालय। (2016). मॉडल जेल मैनुअल 2016. नई दिल्ली: गृह मंत्रालय प्रकाशन, पृ. 255–270, 310–318।
3. संयुक्त राष्ट्र। (2010). महिला बंदियों के साथ व्यवहार एवं महिला अपराधियों हेतु गैर-संरक्षात्मक उपायों के लिए संयुक्त राष्ट्र नियम (बैंकॉक नियम). न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन, पृ. 3–12।
4. कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव। (2020). भारत में महिला कैदियों के अधिकार: एक अध्ययन. नई दिल्ली: सीएचआरआई प्रकाशन, पृ. 15–22।
5. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। (2018). महिला कैदियों के बच्चों की स्थिति पर रिपोर्ट. नई दिल्ली: एनसीपीसीआर, पृ. 28–35।
6. भारत सरकार, गृह मंत्रालय. (2016). *मॉडल जेल मैनुअल 2016*. नई दिल्ली: भारत सरकार प्रकाशन, पृ. 255–318।
7. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान। (2023). रिहा महिला कैदियों का सामाजिक पुनर्स्थापन: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन. मुंबई: टीआईएसएस प्रकाशन, पृ. 42–50।
8. संयुक्त राष्ट्र. (2010). *महिला बंदियों के साथ व्यवहार हेतु बैंकॉक नियम*. न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन, पृ. 3–15।
9. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान. (2023). *रिहा महिला कैदियों का सामाजिक पुनर्स्थापन*. मुंबई: टीआईएसएस, पृ. 42–55।
10. चतुर्वेदी, के. एन. (2015). *भारतीय कारागार प्रणाली और सुधार*. जयपुर: रावत प्रकाशन, पृ. 112–130।
11. सिंह, एम. पी. (2017). *मानवाधिकार और कारागार प्रशासन*. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 210–225।
12. शर्मा, आर. के. (2018). *महिला अपराध और समाज*. दिल्ली: राजकमल प्रकाशन, पृ. 75–98।
13. मिश्रा, सुधा. (2019). *महिला बंदियों के पुनर्वास कार्यक्रम*. वाराणसी: विश्वभारती प्रकाशन, पृ. 134–149।
14. सिंह, अनुराधा. (2020). *महिला कैदियों का मानसिक स्वास्थ्य*. जयपुर: पंचशील प्रकाशन, पृ. 56–72।
15. अग्रवाल, पी. के. (2016). *न्यायिक प्रक्रिया और विचाराधीन कैदी*. नई दिल्ली: विधि प्रकाशन, पृ. 88–104।
16. चौधरी, डी. आर. (2014). *कारागार शिक्षा कार्यक्रम*. नई दिल्ली: अटल प्रकाशन, पृ. 65–79।
17. जोशी, अलका. (2018). *सामाजिक बहिष्कार और महिला अपराध*. भोपाल: म.प्र. हिंदी ग्रंथ अकादमी, पृ. 101–118।
18. पाटिल, विमला. (2015). *जेल सुधार आंदोलन का इतिहास*. मुंबई: हिमालय प्रकाशन, पृ. 150–168।
19. कुमार, राजेश. (2021). *महिला कैदियों का आर्थिक सशक्तिकरण*. पटना: ज्ञानदीप प्रकाशन, पृ. 90–108।
20. राव, सुभाषिनी. (2017). *कारागारों में स्वास्थ्य व्यवस्था*. चेन्नई: यूनिवर्सल प्रकाशन, पृ. 45–63।
21. गुप्ता, नीलम. (2022). *महिला कैदियों के विधिक अधिकार*. लखनऊ: ईस्टर्न बुक कंपनी, पृ. 120–138।
22. तिवारी, अजय. (2019). *सामुदायिक भागीदारी और पुनर्वास नीति*. लखनऊ: जनवाणी प्रकाशन, पृ. 70–85।
23. खन्ना, मीना. (2020). *स्वयंसेवी संगठन और कारागार सुधार*. नई दिल्ली: सेज प्रकाशन, पृ. 200–214।
24. राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो. (2021). *प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2021*. नई दिल्ली: गृह मंत्रालय, पृ. 84–120।
25. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग. (2018). *महिला कैदियों के बच्चों की स्थिति रिपोर्ट*. नई दिल्ली: एनसीपीसीआर, पृ. 28–35।
26. कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव. (2020). *भारत में महिला कैदियों के अधिकार*. नई दिल्ली: सीएचआरआई, पृ. 15–28।

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, conclusions, and opinions expressed in articles published in this journal are exclusively those of the individual author(s) and contributor(s). The publisher and/or editorial team neither endorse nor necessarily share these viewpoints. The publisher and/or editors assume no responsibility or liability for any damage,

harm, loss, or injury, whether personal or otherwise, that might occur from the use, interpretation, or reliance upon the information, methods, instructions, or products discussed in the journal's content.

****